न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 158 / 2020

उनवान

कन्हैयालाल

वादी / अप्रार्थी

बनाम

मथुरालाल

प्रतिवादी / प्रार्थी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 183,53, 188 आर टी एक्ट

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (घ) एवं धारा 151 जा0दी0

उपस्थितिः—

वादी / अप्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री चन्द्र प्रकाश योगी।

प्रतिवादी / प्रार्थी :—विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

निर्णय दिनांक 06 / 01 / 2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी / प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा0 दी0 का इस आश्य का पेश किया है कि वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि वादी एवं प्रति0क्रम0 1 व 2 के पिता माधो के खाते दर्ज थी। यह भूमि माधो की स्वअर्जित सम्पत्ति थी। इंतकाल नं0 2573 दिनांक 27.8.1951 को माधो ने इस भूमि को क्रय किया था। जिसका नामान्तरण माधो के पक्ष में दर्ज हुआ था। वादी ने वाद पत्र की मद नं0 3 में वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि को पैतृक संपत्ति बताकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी हिस्सा 1 / 3 का बंटवारा करवाकर पृथक खाते दर्ज किये जाने का वाद प्रस्तुत किया है। यह भूमि स्वअर्जित भूमि होने से वादी व प्रति0 क्रम 1 व 2 के पिता ने बंटवारा कर वादी को कोटा का एक मकान खरीदकर दिलवाया था तथा प्रति. क्रम 1 को वाद पत्र की मद नं0 2 में वर्णित भूमि खाते दर्ज करवाई थी। वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति होने से वादी व प्रति0 क्रम 1 के पिता को उस भूमि को उसे देने का पूर्ण अधिकार था। वादी व प्रति0 क्रम 1 के पिता ने बंटवारा कर स्वेच्छा से प्रति0 क्रम 1 के भूमि खाते दर्ज करवाई है। यह भूमि नहीं है। इसलिये वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। वादी ने अपने वाद पत्र में खातेदार घोषित होने की सहायता की मांगे भी नहीं की है। ऐसी स्थिति में बिना

घोषणा करवाये वादी बंटवारा करवाने का अधिकारी नहीं होने से भी वाद मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

वादी/अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व 151 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित तथ्य कि वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी वादी व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के पिता माधो के खाते दर्ज थी, स्वीकार है। शैष विवरण गलत लिखा होने से स्वीकार नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 जिस प्रकार लिखी गई है, स्वीकार नहीं है। अपितु कथन है कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है एवं कोई मकान एवं भूखण्ड वादी को क्रय करने नहीं दिया गया है। पूरी मद ही मनघढन्त है। इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 जिस प्रकार लिखी हुई है, स्वीकार नहीं है। अपितु कथन है कि मद नं0 3 को मनघढन्त एवं बनावटी तरीके से लिखकर पेश किया गया है एवं बंटवारे की बात मनघडन्त है। क्योंकि इस संदर्भ में कोई पारिवारिक बंटवारे के दस्तावेज पेश नहीं किये गये है। इस कारण प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 का जवाब बवक्त बहस मौखिक निवेदन किया जावेगा।

विशेष–विवरण

प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा मनघडन्त एवं बनावटी तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। वाद पत्र की मद नं0 1 व 2 में वर्णित आराजी पैतृक आराजी है जिस कारण से उक्त प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है एवं प्रतिवादीगण क्र 1 व 2 ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि विवादित आराजी स्वअर्जित आराजी है तो इस संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है एवं वर्णित किया है कि वादी एवं प्रति0 क्रम 1 व 2 के पिता ने वादी को कोटा शहर में मकान क्रय करके प्रति.क्रम 1 को विवादित आराजी दी है। लेकिन इस संबंध में प्रति. क्रम 1 व 2 द्वारा कोई भी पारिवारिक बंटवारा पेश नहीं किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र बनावटी एवं मनघडन्त तथ्यों के आधार पर पेश किया है। जो चलने योग्य नहीं होने से खारिज होने योग्य है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वादी विनयी है कि प्रति. क्र. 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषकगण की अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पर बहस सुनी, पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। न्यायालय को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 पर आदेश जारी करने से पूर्व निम्न बिन्दुओं पर विचार करना आवश्यक हैः–

1. वाद, वाद–हेतुक प्रकट करता है या नहीं
2. वाद में दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है या नहीं
3. वाद पत्र पर्याप्त स्टाम्प–पत्र पर लिखा है या नहीं
4. वाद किसी विधि से वर्जित है या नहीं
5. वाद दो प्रतियों में फाइल किया गया है या नहीं।

वाद हेतुक प्रकट नहीं होता है– इस बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण पर है। इससे तात्पर्य यह है कि वादी ने न्यायालय में ऐसा वाद दायर नहीं कर दिया जिसका कोई वाद–हेतुक ही प्रकट नहीं होता हो। वाद हेतुक के अभाव में वाद पत्र को नामंजूर किया जा सकता है ताकि न्यायालय बेमतलब के मुकदमों से खुद को बचा सके और अपने कीमती समय को बेवजह नष्ट होने से रोक सकें। अदालत ऐसे पक्षकारों को राहत देने के लिए बाध्य नहीं है, जिनके पास सत्य के लिए कोई सम्मान नहीं है और जो झूठ का सहारा लेकर या गलत तथ्यों को पेश कर न्याय की धारा को दूषित करने की कोशिष करते है। प्रार्थीगण/ प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र के मद नं. 1 व 2 में वर्णित अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 ग्राम मोठपुर की आराजी ख0नं0 2255 रकबा 0.01 है0, 2256 रकबा 0.83 है0 एवं ख0नं0 2257 रकबा 0.80 है0 कुल किता 3 रकबा 1.64 है0 को वादी/अप्रार्थी द्वारा पैतृक संपत्ति बताकर अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी हिस्सा 1/3 का बटवारा करवाकर पृथक खाते दर्ज करने हेतु न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है, जबकि यह उसके पिता माधोलाल की स्वअर्जित संपत्ति थी। प्रार्थीगण/प्रतिवादी 1 व 2 तथा वादी/अप्रार्थी के पिता ने स्वेच्छा से उक्त आराजी को प्रार्थी/प्रतिवादी 1 के खाते दर्ज करवाया था, जिसका उसे पूर्ण अधिकार था। इस बदले, प्रार्थीगण के पिता ने कोटा में मकान खरीद कर वादी/अप्रार्थी के नाम दर्ज करवाया था।

ग्राम मोठपुर की वर्तमान जमाबंदी संवत 2073–77 के अनुसार हाल ख0नं0 2255, 2256, व 2257 कुल रकबा 1.64 है0 प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 मथुरालाल पुत्र माधोलाल के नाम दर्ज है। भू प्रबंध विभाग की जमाबन्दी संवत 2046–66 में भी उक्त खसरा नंम्बर प्रार्थी मथुरालाल पुत्र माधोलाल के खाते दर्ज थी। भू प्रबंध विभाग के मिलान क्षैत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि सेटलमंट से पूर्व हाल नवीन ख0नं0 2255, 2256 व 2257 के साबिक/पुराना ख0नं0 1568 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा थे।

जमाबन्दी संवत 2036–39 के अनुसार साबिक ख0नं0 1568 रकबा 10 बीघा 2 बिस्वा माधोलाल पुत्र गोपीलाल हिस्सा 3/4 व हीरा पुत्र गोपीलाल हिस्सा 1/4 के नाम खाते दर्ज थी। खसरा सफाई, भूप्रबंध विभाग संवत 2013 –2032 के अनुसार ख0नं0 1568 पुराने ख0नं0 989 से बनाया गया था। पुराना ख0नं0 989 धूल्या, भैरूलाल व गोप्या के नाम दर्ज रिकार्ड था (प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा दिनांक 20.09.2021 को पेश दस्तावेज जमाबन्दी संवत 1999–2002 काबिल गौर है।

प्रार्थीगण/प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 20.09.2021 को पेश की गई इंतकाल पंजिका–मौजा मोठपुर निजामत अटरू के अवलोकन से स्पष्ट है कि पुराना ख0नं0 4443/989 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा में से धूल्या एवं भैरूलाल ने अपने हिस्से को 26 रूपये में माधोलाल को विक्रय किया था जिसका इंतकाल संख्या 2573 दिनांक 27.08.1951 को तस्दीक हुआ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि पुराना ख0नं0 4443/989 रकबा 8 बीघा 18 बिस्वा माधोलाल पुत्र गोपीलाल द्वारा 26 रूपये में खातेदार धूल्या व भैरूलाल से क्रय किया गया था अतः यह माधोलाल पुत्र गोपीलाल की स्वअर्जित संपति थी न कि पैतृक सम्पत्ति प्रथम सेटलमेंट संवत 2013–32 में इसके नवीन ख0नं0 1568 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा बनाया गया और खातेदार के रूप में माधोलाल हिस्सा 3/4 एवं हीरा हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड किया गया। हीरा पुत्र गोपीलाल ने वसीयत दिनांक 26.10.1984 (कार्तिक सुदी 2 संवत 2041 विक्रमी) द्वारा उक्त भूमि में अपना हिस्सा 1/4 अर्थात 2.5 बीघा भूमि एवं कुछ फलदार पेड व सामान मथुरालाल पुत्र माधोलाल को दे दिया। जबकि कन्हैयालाल पुत्र माधोलाल को सोना–चांदी के कुछ सामान एवं 700 रूपये नकद दिये। (हीरा की वसीयत दिनांक 26.10.1984 गौर काबिल है।)

माधोलाल ने स्वैच्छा से अपनी स्व–अर्जित आराजी ख0नं0 1568 में अपना हिस्सा 3/4 बाद मे अपने पुत्र मथुरालाल के नाम दर्ज करा दी। चूंकि माधोलाल ने पूर्व ख0नं0 1568 को 26 रूपये में क्रय किया था अतः यह उनकी स्व–अर्जित संपत्ति मानी जायेगी। जिसे हस्तान्तरण विक्रय, दान, वसीयत, बंधक आदि करने का उन्हे पूर्ण अधिकार था।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मथुरालाल को साबिक ख0नं0 1568 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा का 1/4 भाग हीरा से वसीयत में मिला था जबकि 3/4 भाग पिता माधोलाल द्वारा खाता दर्ज कराया गया था। द्वितीय सेटलमेंट 1989–2009 को साबिक ख0नं0 1568 के नवीन ख0नं0 2255 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 2256 रकबा 0.83 है0, ख0नं0 2257 रकबा 0.80 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.64 है0 बनाये।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा बहस अभिभाषक उभय पक्षों को सुनने के बाद मेरा मत है कि विवादित आराजी साबिक ख0नं0 1568 रकबा 10 बीघा 8 बिस्वा हिस्सा 3/4 माधोलाल की पैतृक संपत्ति न होकर स्वअर्जित संपत्ति थी। जिसे मथुरालाल के खाते दर्ज कराने का उसे पूर्ण अधिकार था। साथ में यह भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी विगत 30–35 वर्षों से लगातार मथुरालाल के खाते दर्ज चली आ रही है, जो कि कानूनन है। उक्त विवादित आराजी के स्वअर्जित संपत्ति सिद्ध होने से वादी/अप्रार्थी का कोई कानूनी अधिकार नहीं बनता है अर्थात वादी/अप्रार्थी इसे विभाजन कर पृथक खाते दर्ज कराने का अधिकार नहीं है। अतः वादी के वाद पत्र में कोई वाद हेतुक (cause of action) उत्पन्न नही होता है। इसी संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दहिबेन बनाम अरविन्द भाई कल्याण जी भानुशाली (सिविल अपील सं0 9519/2019) के मामले में दिया गया निर्णय गौर काबिल है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11'घ' धारा 151 जा0 दी0 **स्वीकार** किया जाकर वादी का वाद व प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां